

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग



झारखण्ड विनियोग

(अधिकाई व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05 2005-06,
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11)
विधेयक, 2015

झारखण्ड विनियोग (अधिकाई व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11) विधेयक, 2015

विषय सूची ।

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम ।
2. 31 मार्च, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 तथा 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि से क्रमशः 1241,41,01,123/-, 936,96,06,823/-, 576,07,30,513/-, 3121,47,39,842/-, 1245,86,07,152/-, 334,44,35,856/-, 228,88,54,492/-, 116,71,16,875/-, एवं 318,29,70,211/- रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूचियां ।

झारखण्ड विनियोग (अधिकाई व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11) विधेयक, 2015

झारखण्ड राज्य की संचित निधि से और में से कुछ और राशियों का, 31 मार्च, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 को समाप्त होनेवाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।

भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम :- यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (अधिकाई व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

2. 31 मार्च, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 1241,41,01,123/-, 936,96,06,823/-, 576,07,30,513/-, 3121,47,39,842/-, 1245,86,07,152/-, 334,44,35,856/-, 228,88,54,492/-, 116,71,16,875/-, एवं 318,29,70,211/- रुपये की निकासी। झारखण्ड राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित राशि से अनअधिक राशि जो कुल मिलाकर रुपये **8120,11,62,887/-** है, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान में आनेवाले अनेक भारों जो उस वर्ष की सेवाओं के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिये शोषित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. विनियोग। - इस विधेयक के द्वारा जिन राशियों को झारखण्ड राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें 31 मार्च, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 को समाप्त होनेवाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2002-03 की क्रम संख्या	2002-03 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकाई की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	10-ऊर्जा विभाग	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7,00,00,000	0	7,00,00,000
2	13-ब्याज संदाय	2049-ब्याज अदायगियां	0	472,45,09,086	472,45,09,086
3	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2049-ब्याज अदायगियां	0	761,95,92,037	761,95,92,037
योग -			7,00,00,000	1234,41,01,123	1241,41,01,123

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2003-04 की क्रम संख्या	2003-04 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकाई की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	10-ऊर्जा विभाग	2801-बिजली	9,62,90,747	0	9,62,90,747
2	13-ब्याज संदाय	2049 - ब्याज अदायगियां	0	191,28,38,457	191,28,38,457
3	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (प्रभृत)	0	310,93,11,000	310,93,11,000
		6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0	363,78,21,406	363,78,21,406
4	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	61,33,45,213	0	61,33,45,213
योग -			70,96,35,960	865,99,70,863	936,96,06,823

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2004-05 की क्रम संख्या	2004-05 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	13-ब्याज संदाय	2049-ब्याज अदायगियां	0	365,80,17,816	365,80,17,816
2	14-ऋण की वापसी/ अदायगी	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (प्रभूत)	0	13,29,15,000	13,29,15,000
		6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0	120,15,03,859	120,15,03,859
3	23-उद्योग विभाग	6885-उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज	7,49,00,000	0	7,49,00,000
4	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	69,33,93,838	0	69,33,93,838
योग -			76,82,93,838	499,24,36,675	576,07,30,513

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2005-06 की क्रम संख्या	2005-06 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	10-ऊर्जा विभाग	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	2628,94,35,996	0	2628,94,35,996
2	13-ब्याज संदाय	2049-ब्याज अदायगियां	0	492,52,54,176	492,52,54,176
3	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	49,670	0	49,670
योग -			2628,94,85,666	492,52,54,176	3121,47,39,842

अनुसूची

(देखें धाराएं 2 और 3)

2006-07 की क्रम संख्या	2006-07 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य को संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	13-ब्याज संदाय	2049-ब्याज अदायगियाँ	0	833,58,32,388	833,58,32,388
2	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (प्रभृत)	0	412,27,74,764	412,27,74,764
योग -			0	1245,86,07,152	1245,86,07,152

अनुसूची

(देखें धाराएं 2 और 3)

2007-08 की क्रम संख्या	2007-08 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य को संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (प्रभृत) 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0	207,87,13,000	207,87,13,000
2	15-पेशान	2071-पेशान तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	104,80,05,856	0	104,80,05,856
योग -			104,80,05,856	229,64,30,000	334,44,35,856

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2008-09 की क्रम संख्या	2008-09 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारत	कुल
1	2	3	4	5	6
1	12-वित्त विभाग	7810-अन्तराज्यीय निपटारा	137,12,98,841	0	137,12,98,841
2	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (प्रभृत)	0	91,75,55,651	91,75,55,651
योग -			137,12,98,841	91,75,55,651	228,88,54,492

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2009-10 की क्रम संख्या	2009-10 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारत	कुल
1	2	3	4	5	6
1	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (प्रभृत)	0	116,71,16,875	116,71,16,875
योग -			0	116,71,16,875	116,71,16,875

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 और 3)

2010-11 की क्रम संख्या	2010-11 की अनुदान/भारित संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है ।	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	अधिकारों की रकम	
				राज्य की संचित निधि पर भारत	कुल
1	2	3	4	5	6
1	13-ब्याज संदाय	2049-ब्याज अदायगियाँ	0	67,34,58,627	67,34,58,627
2	15-पेंशन	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	246,94,75,576	4,00,36,008	250,95,11,584
योग -			246,94,75,576	71,34,94,635	318,29,70,211

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-205 के उपबंधों के अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियमित की जायगी ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान बजटीय उपबंध से अतिरिक्त **8120,11,62,887/-** (आठ हजार एक सौ बीस करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार आठ सौ सतासी) रुपये की संचित-निधि से की गई निकासी को विनियमित समझी जाय ।

(रघुवर दास)
भार-साधक सदस्य